# मैं चुनाव में किस प्रकार खड़ा हो सकता/सकती हूँ?

चुनाव में खड़े होने हेतु पात्र बनने के लिए यह आवश्यक है कि:

- आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष की हो और आप ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हों
- आप काउंसिल-क्षेत्र में रहते/रहती हों या उस क्षेत्र में आपकी कोई प्रापर्टी (संपत्ति) हो
- काउंसिल-क्षेत्र की मतदाता-सूची में आपका नाम हो
- आपको कार्यालय के लिए खड़े होने से अयोग्य न ठहराया गया हो, उदाहरण के लिए, यदि आपने कोई अपराध किए हों।

इसके बाद यह आवश्यक है कि उम्मीदवार के रूप में आपको नामांकित करने वाला एक प्रस्ताव निम्नलिखित के द्वारा जमा करवाया जाए:

- ऐसे दो योग्य लोगों द्वारा जिनका नाम उसी वार्ड या क्षेत्र में हो जिसके लिए आपको नामांकित किया जा रहा हो, अथवा
- किसी पंजीकृत राजनैतिक दल के एक पंजीकृत अधिकारी द्वारा।

यह आवश्यक है कि आप कुछ फॉर्म भरें और नामांकन भरे जाने के आखिरी दिन की दोपहर से पहले-पहले आधिकारिक रूप से उन्हें दर्ज करा दें और डिपॉजिट (पेशगी) भरें। NSW Electoral Commission (संपर्क विवरण पृष्ठ के दूसरी ओर दिया गया है) इस बारे में और अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है कि नामांकन किस प्रकार सही ढंग से भरा जाना चाहिए ।

जितनी जल्दी संभव हो सके - आपको अपने अभियान की योजना तैयार करनी चाहिए और उसे सुनियोजित करना चाहिए। आप पोस्टरों, ब्रोशरों (पुस्तिकाओं), घर-घर जा कर प्रचार करने, मीडिया और विज्ञापन का प्रयोग करना चाह सकते/सकती हैं। उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को जिस प्रकार की सूचना को प्रकाशित या वितरित करने की अनुमति होती है, उसपर कड़े नियम लागू होते हैं जिन्हें आप NSW Electoral Commission से प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

अपने चुनावी अभियान का संचालन करने में मदद करने के लिए सम्भवत: आपको प्राप्त होने वाले वाले राजनैतिक दान से संबंधित सूचना भी आपको NSW Election Funding Authority (संपर्क विवरण पृष्ठ के दूसरी ओर दिया गया है) पर दर्ज करानी चाहिए।

# मुझे और अधिक जानकारी कहाँ से मिल सकती है?

आप *Becoming a Councillor (काउंसलर बनने)* से संबंधित और अधिक विस्तृत जानकारी DLG एवं LGSA की वेबसाइटों (नीचे दी गई हैं) से प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

## आपकी स्थानीय काउंसिल

DLG की वेबसाइट (नीचे दी गई है) पर
NSW Local Government Directory देखें

## Division of Local Government

**Department of Premier and Cabinet (DLG)**
ई-मेल: dlg@dlg.nsw.gov.au
वेबसाइट: www.dlg.nsw.gov.au
फोन: **(02) 4428 4100**

## Local Government Remuneration Tribunal

DLG की वेबसाइट पर
Local Government Remuneration Tribunal देखें

## Local Government Association of NSW and Shires Association of NSW (LGSA)

ई-मेल: lgsa@lgsa.org.au
वेबसाइट: www.lgsa.org.au
फोन: **(02) 9242 4000**

## New South Wales Electoral Commission

ई-मेल: enquiries@elections.nsw.gov.au
वेबसाइट: www.elections.nsw.gov.au
फोन: **(02) 9290 5999**

## New South Wales Election Funding Authority

ई-मेल: enquiries@efa.nsw.gov.au
वेबसाइट: www.efa.nsw.gov.au
फोन: **(02) 1300 022 011**

## Australian Local Government Women's Association NSW Branch

ई-मेल: algwasecretariat@gmail.com
वेबसाइट: www.algwa.org.au
फोन: **0418 699 350**

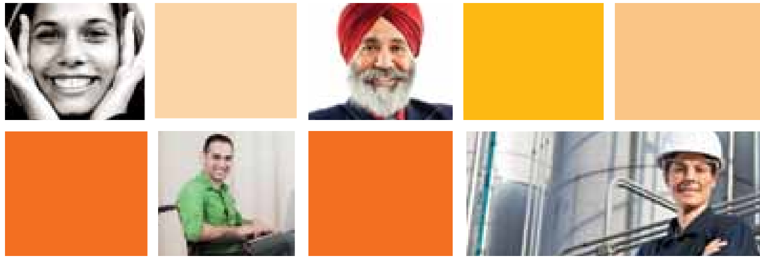

NSW Government Premier & Cabinet Division of Local Government

Local Government Association of NSW

Shires Association of NSW

# STAND FOR YOUR COMMUNITY. BE A COUNCILLOR.

*अपने समुदाय के लिए उठ खड़े होएं। काउंसलर बनें।*

*हमारे स्थानीय समुदाय विविध हैं परंतु स्थानीय काउंसिलों पर महिलाओं, ऐबोरिजनल लोगों तथा टोरस स्ट्रेट द्वीप-वासियों, सांस्कृतिक एवं भाषाई तौर पर विविध पृष्ठभूमियों से संबंधित लोगों, विकलांगता से ग्रस्त लोगों और युवाओं का प्रतिनिधित्व कम है।*

*कामयाब काउंसिलें अपने समुदाय की विविधता को दर्शाती हैं।*

*क्यों न लोकल गवर्मेंट (स्थानीय सरकार) के चुनाव में खड़े होएं?*

Hindi

## मुझे काउंसलर क्यों बनना चाहिए?

काउंसलर की भूमिका आपके स्थानीय समुदाय में अंतर लाने का एक प्रेरक अवसर प्रदान करती है। यदि आप इसकी परवाह करते/करती हैं कि आपके समुदाय में क्या होता है, स्थानीय पार्क को बेहतर बनाना चाहते/चाहती हैं, सड़कों को सुरक्षित बनाना या स्थानीय व्यापारों का समर्थन करना चाहते/चाहती हैं, तो काउंसलर की भूमिका आपके लिए उचित है।

स्थानीय काउंसलर की भूमिका एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा इन कार्यों को पूरा किया जा सकता है और अपने क्षेत्र को रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनाया जा सकता है।

कोई भी अन्य सरकारी स्तर उन लोगों के इतना करीब नहीं होता है जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है।

काउंसलर की भूमिका उन महत्वपूर्ण निर्णयों में अपने समुदाय के विचारों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर उपलब्ध कराती है जो लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं।

यह नई योग्यताओं को विकसित करने और विविध प्रकार के लोगों के साथ कार्य करने का अवसर भी प्रदान करती है।

## काउंसिलें कौन-कौन से कार्य करती हैं?

काउंसिलें ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं जिनपर समुदाय के लोग और व्यापार वर्ष में 365 दिन निर्भर करते हैं।

वे ऐसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराती हैं जिनकी आवश्यकता लोगों को स्कूल और कार्य पर जाने के लिए होती है। वे पर्यावरण को संरक्षित करती हैं और बच्चों के खेलने के लिए पार्क उपलब्ध कराती हैं।

वे स्थानीय लोगों एवं व्यापारों के साथ कार्य करती हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है और फिर वे उसे पूरा करती हैं।

वे यह सुनिश्चित करती हैं कि हमारे गाँव, कस्बे और शहर वर्तमान और भविष्य में विकास और उन्नति करते हैं।

## काउंसलर की भूमिका में क्या शामिल होता है?

काउंसलर यह पता लगाते हैं कि स्थानीय लोग क्या चाहते हैं और वे उनके विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

दूसरे काउंसलरों के साथ कार्य करते हुए - वे इस बारे में निर्णय लेते हैं कि इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काउंसिल क्या करेगी और संपूर्ण समुदाय के सर्वश्रेष्ठ हितों के लिए धन कैसे खर्च किया जाना चाहिए। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि काउंसिल बढ़िया प्रदर्शन कर रही है और टैक्सपेयर्स (कर-दाताओं) के धन को कुशलतापूर्वक तरीके से खर्च रही है।

वे काउंसिल के दैनिक संचालन-कार्य में शामिल नहीं होते हैं (यह भूमिका जनरल मैनेजर [महा-प्रबंधक] की होती है)।

## क्या मैं, या मुझसे परिचित कोई अन्य व्यक्ति - इस भूमिका के लिए उपयुक्त है?

नैतिक, साफ़दिल एवं ईमानदार होना कामयाब काउंसलरों की मुख्य विशेषताएँ होती हैं। इसके अतिरिक्त आपको निम्नलिखित की आवश्यकता होगी:

- सीखने के लिए उत्सुक होने की
- संचार-संबंधी योग्यताओं की, जिसमें अपने समुदाय में लोगों के साथ बात करना और निर्णय लेते समय भिन्न विचारों को ध्यान में रखना शामिल है
- समय-प्रबंधन व व्यवस्थापन संबंधी योग्यताओं की
- समस्याओं का समाधान करने संबंधी योग्यताओं की
- टीमवर्क (सामूहिक कार्य) संबंधी योग्यताओं की।

आपको काउंसिल के पेपरों को पढ़ने, बैठकों में भाग लेने और कुछ समारोहों में काउंसिल का प्रतिनिधित्व करने के लिए समय देने हेतु वचनबद्ध होने में सक्षम होने की आवश्यकता है। इसके लिए दिया जाने वाला समय - काउंसिल और मौजूदा कामकाज पर निर्भर करते हुए भिन्न होगा, परंतु यह समय प्रति सप्ताह 10 से 15 घंटे तक का हो सकता है।

यह अनुभव करने के लिए कि काउंसलर क्या करता है, आप काउंसिल की मीटिंग में जाना, अपने समुदाय के वर्तमान या भूतपूर्व काउंसलर अथवा लोगों से बात करना पसंद कर सकते/सकती हैं।

यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने परिवार एवं मित्रों से इस बारे में बात करें कि क्या आप किसी अन्य कार्य तथा व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के साथ-साथ अपने जीवन में वास्तव में काउंसलर बनने की भूमिका को ठीक से बैठा सकते/सकती हैं।

## मुझे किस प्रकार का समर्थन मिलेगा?

निर्वाचित होने के बाद - आपको इस भूमिका को समझने और इसमें सफल होने के लिए काउंसिल-आधारित प्रशिक्षण और अन्य समर्थन मिलेगा। NSW की सरकार नव-निर्वाचित काउंसलरों की मदद करने हेतु सत्रों का संचालन भी करती है।

काउंसलरों को अपनी भूमिका निभाने में मदद करने हेतु काउंसिलें कुछ खर्चों का भुगतान करती हैं और अन्य साधन उपलब्ध कराती हैं । खर्चों में प्रशिक्षण, कॉंफ्रेंसें, यात्रा, टेलीफोन तथा डिपेंडेंट्स (आश्रितों), जैसे कि बच्चों, की देखरेख के खर्चे शामिल हो सकते हैं। अन्य साधनों में काउंसिल के कामकाजों में प्रयोग करने के लिए कंप्यूटर व अन्य ऑफिस उपकरण शामिल हो सकते हैं। विकलांग या अन्य विशेष आवश्यकताओं वाले काउंसलरों के लिए दूसरी सुविधाएँ उपलब्ध हो सकती हैं।

काउंसलरों द्वारा अपने समुदाय के लिए किए जाने वाले कार्यों को मान्यता देने के लिए, उन्हें काउंसिल से वार्षिक पारिश्रमिक प्राप्त होती है जिसका भुगतान मासिक तौर पर किया जाता है। यह Local Government Remuneration Tribunal (संपर्क विवरण पृष्ठ के दूसरी ओर दिया गया है) द्वारा हर वर्ष तय की जाने वाली पारिश्रमिक-सीमा पर आधारित होता है। इस पारिश्रमिक को टैक्स प्रयोजनों के लिए आय के रूप में गिना जाता है।